बजट आबंटन / जिला सेक्टर
संख्या–188 /XVII(1)/05–08(बजट)/2004

प्रेषक,

एस. के. मुट्टू
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी,
उत्तरांचल।

समाज कल्याण अनुभाग। देहरादून, दिनांक 28 जनवरी, 2005

विषयः विकलांग भरणपोषण अनुदानके अन्तर्गत वर्ष 2004–05 हेतु अतिरिक्त धनराशि कीस्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में विकलांग भरण पोषण अनुदान योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या–1978/XVII(1)/04–08(बजट)/2004, दिनांक 28 अगस्त, 2004 द्वारा आबंटित धनराशि के अतिरिक्त संलग्नक के अनुसार कुल रू. 49,92,000 **(रूपये उनचास लाख बयानबे हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाये।
2. उक्त आबंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका बजट मैनुवल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय।
3. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लें कि आवश्यकतानुसार आबंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में, सम्पूर्ण मुख्य/लघु /उप तथा विस्तृत शीर्षकों को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी ओर लाल स्याही से अनुदान संख्या तथा आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा जाए अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंगमें बाधा होगी।
4. आबंटन एवं व्यय की स्थिति से निदेशालय एवं शासन को प्रत्येक माह अवगत कराया जाये।
5. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाये।
6. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार निदेशालय के माध्यम से समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाये

2

7. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

8. आयोजनागत पक्ष की अन्य मदों के अन्तर्गत धनराशि की मांग के प्रस्ताव तत्काल निदेशालय/शासन को उपलब्ध कराये जायें, ताकि उनकी स्वीकृतियां पृथक से जारी की जा सकें।

9. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–2005 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के अन्तर्गत संलग्न तालिका में उल्लिखित लेखा शीर्षक की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

10. यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–608/XXVII(2)/2004, दिनांक 25 जनवरी, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी की जा रही है।

संलग्न–यथोपरि ।

भवदीय,

(एस. के. मुट्टू)
प्रमुख सचिव,

संख्या–189 (1)/XVII(1)/05–08(बजट)/2004/तद्‌दिनांक ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
3. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
4. सचिव, नियोजन, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
5. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल, हल्द्वानी, नैनीताल।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
7. निदेशक, एन. आई. सी. उत्तरांचल, देहरादून।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
9. वित्त अनुभाग–2 उत्तरांचल शासन, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
उप सचिव,

शासनादेश संख्या-188 /XVII(1)/04-06(बजट)/2004, दिनांक 28 जनवरी, 2005 का संलग्नक

अनुदान संख्या–15 आयोजनागत मतदेय

जिला सेक्टर

लेखाशीर्षक :: 2235-02-101-91-03

मुख्य शीर्षक 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

उप मुख्य शीर्षक 02–समाज कल्याण

लघु शीर्षक 101–विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

उप शीर्षक 91–जिला योजना

व्यौरेवार शीर्षक 03–नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांगों उनके भरण पोषण हेतु अनुदान (जिला योजना)

मानक मद – 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता

(धनराशि हजार रूपये में)

जनपद का नाम	पूर्व में आबंटित धनराशि	वर्तमान में आबंटित की जा रही धनराशि	कुल आबंटित धनराशि (प्रगामी योग)
पौड़ी गढ़वाल	2134		2134
टिहरी	3394	1002	4396
चमोली	994	397	1391
रुद्रप्रयाग	858	183	1041
उत्तरकाशी	2324		2324
देहरादून	3322	432	3754
हरिद्वार	1375	1154	2529
नैनीताल	1947	320	2267
अल्मोड़ा	3055	481	3536
पिथौरागढ़	1353	384	1737
बागेश्वर	1480	257	1737
चम्पावत	697	136	833
ऊधमसिंह नगर	2125	246	2371
योग :	25058	4992	30050

(रूपये उनचास लाख बयानबे हजार मात्र)

(गरिमा रौंकली)
उप सचिव,